अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

अनिल कुमार बनाम किशनलाल वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र अस्थाई निषे0 मु0नं0–143/2022

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को जबरन बेदखल करने की कोशिश की जाती रही है एवं प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थना पत्र में जारी अस्थाई निषे0 को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि सहखातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है एवं नियमानुसार जब तक विधिवत तकास्मा नहीं हो जाता है तब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है। प्रार्थी द्वारा मनगढंत एवं झूठे कपोलकल्पित तथ्यों के आधार पर वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 पेश किया गया है। तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी अस्थाई निषे0 की आड में अप्रार्थी भूमि में सहखातेदार होने के बावजूद हैरान परेशान प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है। जिससे अप्रार्थी के हक अधिकार प्रभावित हो रहे है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के अभिवचनों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह साबित होता है कि विवादित भूमि सहखातेदारी भूमि है जिसका विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है। तथा सहखातेदारी भूमि में सहखातेदार को अस्थाई निषे0 से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अस्थाई निषे0 दिनांक 11.11.2022 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	